

डॉ. विश्वास तिवारी

अमेरिका के अरबपति

कारोबारी और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने कुछ भारतीय कारोबारियों पर आरोप लगाया है कि यह उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी स्टारलिनक को भारत में आने से रोक रहे हैं। वह अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं जिससे देश की आम जनता को नुकसान होगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जियो के मुकेश अंबानी और एयरटेल के सुनील मित्तल की तरफ था। अपने सोशल मीडिया एप ‘एक्स’ पर मस्क ने कहा कि ‘स्टारलिनक’ को 165 देशों में लाइसेंस मिल चुका है और उसने पांच वर्षों तक भारत के हर कानून का पालन किया है। स्टारलिनक ने अपना जमीनी ढांचा विकसित करने के लिए जियो और भारती एयरटेल से साझेदारी भी की है। उनके इस आरोप पर भारत सरकार ने सता किया है कि स्टारलिनक को मई 2025 में लाइसेंस दे दिया गया था। सिर्फ स्पेक्ट्रम आवेदन रूका है, क्योंकि इसमें विदेशी निवेश की मंजूरी और सुरक्षा शर्तों का परीक्षण बाकी है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि सैटेलाइट संचार के लिए उसका रेग्युलेटरी स्ट्रक्चर ‘निष्पक्ष और भेदभाव’ मुक्त है और

एलन मस्क की स्टारलिनक के भारत में प्रवेश पर संशय...!



लाइसेंस शर्तों के अनुसार हर कंपनी को यह साबित करना होता है कि वह भारत की सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की गोपनीयता से जुड़ी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करेगी। भारत में स्टारलिनक का सीधा मुकाबला रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से होगा जिनका भारत में यूजर बेस बहुत मजबूत है। यह देश के मोबाइल और ब्रॉडबैंड बाजार का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा रखते हैं।

अमीर व्यक्ति एलन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आखिरी मुलाकात 2025 की शुरुआत में हुई थी, जब भारतीय प्रधानमंत्री वाशिंगटन गए थे, लेकिन उस मुलाकात में हुई बातचीत से भारत में मस्क की चुनौतियां कम नहीं हुई थीं। अमेरिका से भारत के बिगडूते हुए संबंध का असर दोनों देशों के उद्योगपतियों पर भी पड़ रहा है। यह सब उस समय हो

भारत की सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की गोपनीयता से जुड़ी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करेगी। भारत में स्टारलिनक का सीधा मुकाबला रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से होगा जिनका भारत में यूजर बेस बहुत मजबूत है। यह देश के मोबाइल और ब्रॉडबैंड बाजार का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा रखते हैं। दुनिया के सबसे

से सरकारी नीतियों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया है। उन्होंने ट्रंप और उनकी रिपब्लिक पार्टी को चुनावों में 60 करोड़ डॉलर का चंदा दिया था और वह मिड टर्म चुनाव में भी पार्टी को चंदा देने की बात कह रहे हैं। लाइसेंस शर्तों के अनुसार हर कंपनी को यह साबित करना होता है कि वह

प्रकृति की धरोहर कागजों में कैद, जमीन पर उपेक्षित

दुनिया तेजी से अपनी हरियाली खो रही है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत इस मामले में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहां हिमालय से लेकर थार रेगिस्तान तक और पश्चिमी घाट से लेकर सुंदरबन तक हर तरह की जैव विविधता मिलती है, लेकिन इस अमूल्य खजाने को बचाने में हमारी रम्तार बेहद सुस्त है।

कानून बने, बोर्ड बने, कमेटियां बनीं, रजिस्टर बने, लेकिन जब बात आती है जमीन पर किसी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की, तो आंकड़ा निराश करता है। पूरे देश में अब तक केवल 54 स्थल ही इस श्रेणी में आ पाए हैं, जबकि संभावनाएं हजारों की हैं। भारत ने 2002 में जैव विविधता कानून पारित किया था और 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। इसका मकसद था कि देश की जैव संपदा को पहचाना जाए, उसका दस्तावेजीकरण हो और उसे बचाया जाए। आज देश के 28 राज्यों में जैव विविधता बोर्ड बने हुए हैं। दो लाख 71 हजार से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियां गांवों और शहरों में काम कर रही हैं। दो लाख 68 हजार से अधिक लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार हो चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।

लेकिन इतने बड़े तंत्र के बाद भी विरासत स्थल घोषित करने की गति कछुए जैसी है। कई राज्यों में एक भी स्थल घोषित नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि हमारा ध्यान कागजी खानापूतों पर अधिक है और जमीन पर काम कम है।

54 स्थल पर भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत छोटा आंकड़ा है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे बड़े राज्यों में एक भी स्थल घोषित नहीं है। यह केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता का प्रतीक है। राजस्थान में ओरण हैं, जिन्हें गांव के लोग सदियों से पवित्र मानकर बचाते आए हैं। मध्यप्रदेश में कई पवित्र वन हैं, जहां आदिवासी समाज ने पेड़ों को देवता मानकर सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड में

ऐसे दौर में, जब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व

अन्य विकसित देशों में सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच सीमित करने के कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच उनका मौलिक अधिकार है और इस पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। कोर्ट ने माना कि इंटरनेट तक पहुंच और उसके इस्तेमाल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ-साथ अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत निर्धारित वाक् एवं अभिव्यक्ति की आजादी में ही निहित है।

यह टिप्पणी साधारण नहीं है। दरअसल, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. चंद्रन की पीठ इंटरनेट के जरिये बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के उपायों पर विमर्श कर रही थी। इसी बीच, कई देशों द्वारा एक निर्धारित उम्र तक के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने का मामला सामने आया। भारत में भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। अदालत का मानना था कि हम बच्चों से जुड़ी ऐसी चिंताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर प्रतिबंध इसका न्यायोचित विकल्प नहीं है।

शीर्ष अदालत ने माना कि इस माध्यम से बच्चों को दूर रखकर हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। अदालत का तर्क था कि बच्चों की आजादी और सुरक्षा एक-दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन्हें दोनों ही चीजें मिलनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि या तो आजादी दो या सुरक्षा, दोनों एक साथ नहीं हो सकतीं। लेकिन दोनों ने कहा कि ऐसा नहीं है, दोनों साथ ही चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए इंटरनेट सीखने का माध्यम भी है। दूरदराज के इलाकों में जानकारी पाने का यह एकमात्र जरिया होता है। यदि हम शहर के बच्चे को



बुग्याल हैं, जो दुर्लभ वनस्पतियों का घर हैं। इन सबके बावजूद वहां एक भी विरासत स्थल नहीं है, तो सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ है? अक्सर लोग समझते हैं कि विरासत स्थल का मतलब कोई बड़ा जंगल या राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैव विविधता विरासत स्थल वह कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जहां विशेष प्रकार के पौधे, जीव या पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हों। वह जमीन सरकारी, निजी या सामुदायिक हो सकती है। यहां तक कि किसी गांव का छोटा तालाब भी विरासत स्थल बन सकता है, यदि वहां दुर्लभ प्रजातियां रहती हैं। इसका उद्देश्य है कि उस क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिले, वहां किसी भी तरह का विनाशकारी निर्माण या खनन न हो और वहां के स्थानीय लोगों को उसके संरक्षण का लाभ मिले।

जब किसी स्थल को विरासत स्थल घोषित किया जाता है, तो वहां के युवाओं और बच्चों में गर्व की भावना आती है। वे अपनी धरती से जुड़ते हैं और उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। जानकारी का अभाव एक बड़ी समस्या है। अधिकांश ग्राम पंचायतों को पता ही नहीं है कि वे अपने क्षेत्र को विरासत स्थल घोषित करने के लिए प्रस्तावित कर

सकती हैं। प्रबंधन समितियां बनी तो हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है। किसी क्षेत्र को विरासत स्थल घोषित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण और वनस्पति एवं जीव वैज्ञानिकों की रिपोर्ट चाहिए, जो हर जिले में उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता भी एक बड़ी बाधा है। विरासत स्थल घोषित होने के बाद उस जमीन पर उद्योग या रियल एस्टेट का दबाव आसानी से नहीं चल सकता। इसीलिए कई बार स्थानीय स्तर पर ही प्रस्ताव को रोक दिया जाता है। वित्तीय मदद का अभाव भी समस्या है। केंद्र से पैसा आता है, लेकिन वह प्राधिकरण और बोर्ड तक ही सीमित रह जाता है। नीचे पंचायत स्तर तक नहीं पहुंचता। इसीलिए समितियां केवल रजिस्टर बनाकर अपना काम खत्म मान लेती हैं।

यदि हमने विरासत स्थलों को तेजी से घोषित नहीं किया, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी को होगा। कई औषधीय पौधे, जो आज हमारे जंगलों में हैं, कल खत्म हो जाएंगे। कई जीव, जिनके बारे में हमने अभी जाना भी नहीं है, वे बिना पहचाने ही विलुप्त हो जाएंगे। जनवायु परिवर्तन का संकट भी बढ़ेगा। ये छोटे-छोटे विरासत स्थल ही

कार्बन को सोखते हैं, भूजल को बचाते हैं और बाढ़ तथा सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। यदि ये खत्म हुए, तो गांवों की जल सुरक्षा भी प्रभावित होगी। सबसे बड़ा नुकसान सांस्कृतिक होगा। आदिवासी समाज की जो परंपरागत ज्ञान प्रणाली पवित्र वनों को बचाती है, वह भी इन स्थलों के साथ खत्म हो सकती है।

सरकार को सबसे पहले हर राज्य के लिए लक्ष्य तय करना होगा कि अगले दो वर्षों में कम से कम दस विरासत स्थल घोषित किए जाएं। ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना होगा। उन्हें बताया जाए कि विरासत स्थल घोषित होने से संरक्षण के लिए अनुदान, रोजगार के अवसर और क्षेत्र की पहचान मिल सकती है।

विश्वविद्यालयों को इस काम में जोड़ना होगा। छात्र अपने क्षेत्र के तालाब, जंगल या पवित्र स्थल का सर्वेक्षण कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को भेज सकते हैं। इससे युवा भी जुड़ेंगे और वैज्ञानिक आंकड़े भी तैयार होंगे। वित्तीय मदद सीधे प्रबंधन समितियों को दी जाए, ताकि वे छोटी नर्सरी, जैव विविधता पार्क या संग्रहालय बना सकें। स्थानीय समुदाय को सबसे बड़ा भागीदार बनाया जाए, खासकर महिलाओं और आदिवासी बुजुर्गों को, क्योंकि वही असली संरक्षक हैं।

जैव विविधता विरासत स्थल केवल सरकारी योजना नहीं है, यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा है। भारत में प्रकृति को हमेशा देवता माना गया है। पीपल, बरगद, नदी और पहाड़, सब पूज्य रहे हैं। उसी परंपरा को आधुनिक कानून का रूप देना है। 54 स्थलों से हम दुनिया को अपनी समृद्धि नहीं दिखा सकते। हमें सैकड़ों स्थलों को पहचानना होगा और उन्हें गर्व के साथ दुनिया के सामने रखना होगा। यदि आज हम चुके, तो कल हमारे पास केवल रजिस्ट्रारों में नाम बचेंगे, जमीन पर हरियाली नहीं बचेगी। समय आ गया है कि कागजी समितियों से निकलकर जमीन पर उतरा जाए और हर जीव, किसी भी तरह की विरासत स्थल का सम्मान दिया जाए। यही भविष्य के लिए सच्ची पूंजी होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

ऐसे

इंटरनेट की आजादी और सुरक्षा आमने-सामने

देखें, तो उसके पास स्कूल, लाइब्रेरी, कोचिंग, सब कुछ है, लेकिन बस्तर के किसी गांव या लद्दाख के किसी गांव के बच्चे के लिए इंटरनेट ही उसकी क्लास है, वही उसका पुस्तकालय है। ऐसे में उससे इंटरनेट छीन लेना उसे शिक्षा से वंचित करने जैसा होगा।

वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का गंभीरता से संज्ञान लिया कि देश में नाबालिगों से जुड़ी अश्लील सामग्री रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लापरवाही दिखा रहे हैं। अदालत का मानना था कि सभी हितधारक यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को हानि पहुंचाने वाली कोई भी सामग्री प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपलब्ध न हो सके। यह सामग्री न अपलोड की जाए और न ही उसे प्रोत्साहित किया जाए। कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि मध्यस्थों और सोशल मीडिया मंचों ने वर्ष 2024 में जारी किए गए कोर्ट के निर्देशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया। साथ ही, पीठ का मानना था कि आज इंटरनेट शिक्षा, सूचना और सामाजिक भागीदारी का एक सशक्त माध्यम बना है। ऐसे में यदि प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो वे निष्प्रभावी होंगे, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले भी हो सकते हैं।

इसका नुकसान यह हो सकता है कि बच्चे ऐसी ऑनलाइन जगहों को खोजना शुरू कर सकते हैं, जहां नियम-कानून कम होने की वजह से खतरे अधिक हों। यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ सकती है।

विदेशों में प्रतिबंध, भारत में संतुलन। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र



के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य की गई है। इन देशों का तर्क है कि सोशल मीडिया से बच्चों में अवसाद, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

लेकिन भारत की परिस्थिति अलग है। यहां डिजिटल डिवाइड अभी भी बड़ा है। कई बच्चों के लिए स्मार्टफोन ही पहला स्कूल है। कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे इंटरनेट ने शिक्षा को बचाए रखा। यदि हमने प्रतिबंध लगा दिया, तो सबसे अधिक नुकसान गरीब, आदिवासी

और ग्रामीण बच्चों को होगा, जो पहले से ही शिक्षा में पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण इसी भारतीय हकीकत को समझता है। कोर्ट का कहना है कि खतरे से आंखें बंद करके बच्चों को कमरे में बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें खतरे को पहचानना और उससे लड़ना सिखाना समाधान है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि इंटरनेट पर सब कुछ सुरक्षित है। खतरा बहुत बड़ा है। नाबालिगों से जुड़ी अश्लील सामग्री, चालूड ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग और गैमिंग की लत, ये सभी असली खतरे हैं। कई बार बच्चे अनजाने

दिलीप झा

.....

बांग्लादेश,

नेपाल और फ्रांस की तरह भारत में भी हिंसा भड़काने आपदा की स्थिति उत्पन्न कर सता परिवर्तन करने की चाहत रखने वालों की मंशा को धराशायी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामवंत की तरह भारत को बचा लिया है। भारत के ऊपर भी दुनिया के अन्य देशों की तरह भारी खतरा मंडरा रहा था, लेकिन भारत सतर्क हो गया है। मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी चतुराई से इनके नेक्सस को तोड़ दिया है। हैरानी की बात है कि भारत की राजनीति में अर्बन नक्सल गैंग और टुकड़े-टुकड़े गैंग की असफलता के बाद अब एक नया नाम, रिजमी चेंज गैंग, सामने आया है, जिसने जबरन सत्ता परिवर्तन की आग भड़काने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। हालांकि, इस गैंग में शामिल विपक्षी दलों के कुछ नेताओं और कुछ गिने-चुने शिक्षित लोगों को भली-भांति पता है कि वे आगामी चुनावों में भी जीत नहीं सकते, इसलिए वे अब दूसरे देशों की असुर शक्तियों की मदद से हिंसा फैलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे हैं। निस्संदेह, पूरे गैंग के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कूट-कूटकर नफरत भरी हुई है। वर्ष 2014 से ही यह टुकड़े-टुकड़े गैंग मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता है। उन्हें लगता है कि एक साधारण चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया?

ये देश के वे दुश्मन हैं, जो रिजमी चेंज गैंग के जरिए भारत में चुनाव करवाए बिना सत्ता हासिल करना चाहते हैं।6 अक्टूबर से कांग्रेस समेत अलग-अलग गैंग भारत में चुनाव आयोग के खिलाफ विभिन्न तरह के प्रदर्शन करके आंदोलन को हिंसक बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी भरपूर दबाव बनाने का प्रयास किया कि वह चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई करे और एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो बिना सुनवाई के कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है।

बांग्लादेश और नेपाल की तरह यूरोप के कई देशों, जैसे फ्रांस और अल्बानिया में हिंसक आंदोलनों से अस्थिरता का माहौल उत्पन्न करने वाली जिहादी मानसिकता के लोगों को यह भली-भांति पता है कि भारत जैसे विकासशील और विपट लोकातांत्रिक देश में धक्केशाही से उथल-पुथल मचाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि यहां की करोड़ों जनता मोदी के हर कदम के साथ है। लोगों के दिलो-दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि विपक्षी दलों के नेताओं के कारनामे देशहित में नहीं हैं और इसलिए वे कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। इसके बाद मोदी की मंत्रियों में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और विपक्षी तांडव को हवा निकाल दी। जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन प्रतिबंधित हो गया है। इसके बदले दिल्ली में तीन अन्य जगहें दी गई हैं, लेकिन इस बीच टुकड़े-टुकड़े गैंग वालों की मंशा अब देश के सामने आ गई है कि वे येन-केन-प्रकारेण जबरन सत्ता हथियाए के लिए किसी भी हद तक जा

सोशल मीडिया द्वारा फैलाने वाली नफरत को रोक दिया जाता है। ऐसा दिल्ली में कृषि आंदोलन और जेन जी आंदोलन के दौरान भी कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए किया गया था।

5 वर्ष पूर्व स्टारलिनक के भारत प्रमुख ने घोषणा की थी कि 2020 के अंत तक देश में 2 लाख टर्मिनल चालू कर दिए जाएंगे, इनमें से ज्यादातर गांव में होंगे जहां इंटरनेट नहीं है। तब कंपनी ने 5 हजार लोगों से प्री आर्डर भी ले लिए थे जब स्टारलिनक कंपनी इसे गांवों में और दूरदराज क्षेत्रों में इसे लाभप्रद बताती है तो उसे इसकी कीमत पर भी ध्यान देना होगा। सूत्रों के अनुसार स्टारलिनक फिट की कीमत ही 35 हजार के आसपास है और मासिक शुल्क 3 हजार।

जब महीने भर के भारत में 500 से 1500 रुपये के फाइबर इंटरनेट के प्लान मिल जाते है तो इन्हें गांव में कौन लेगा? यानि स्टारलिनक गिने चुने संपन्न ग्राहकों के लिए या उन कंपनियों के ही काम आएगा जो गांवों तक अपना व्यवसाय करना चाहती हो। पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होने वाली सैटेलाइट सेवाओं पर नियंत्रण रखना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ऐसी सेवा का नियंत्रण एक विदेशी कंपनी को देना भारत सरकार के लिए एक जोखिम भरा कार्य होगा।

सकते हैं। इस बीच, देश के चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी का झूठ आरोप लगाने वाली कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को नोटिस देकर जवाब मांगा है कि वे सचुतों के साथ यह सिद्ध करें कि उनके आरोपों में दम है। लेकिन आज तक राहुल गांधी कोई सबूत लेकर नहीं आए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर झुठ नरैटरिब प्रस्तुत करने की नाकाम कोशिश की। वहीं, 10 और 11 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दिल्ली पुलिस ने असफल कर दिया। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और सीपीआई(एम) के छत्र संघटना को नेतृत्व कर रहीं नेता बारा ने खुलकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि वे भारत में रिजमी चेंज करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत में बांग्लादेश, नेपाल और अरब देशों की तरह अस्थिरता फैलाकर नरेंद्र मोदी की सत्ता बदलेंगे। योगेंद्र यादव का यह कहना कि अब देश में निर्णय संसद से नहीं, सड़क से होगा। नीट पेपर लीक मामले में 20 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री भूपेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद सीजेपी का हौसला बुलंद हो गया और उसका मन सातवें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन धीरे-धीरे सीजेपी की पोल खुल गई कि यह आम आदमी पार्टी का चट्टा-बट्टा है और विदेशी फंडिंग लेकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इस बात की पुष्टि अमेरिका की एक मशहूर सिंगर के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए अमेरिका से फंडिंग हुई है और देश-विदेश के प्रमुख अखबारों ने सिंगर को इस बात की प्रकाशिश करी है।

इस बीच, मध्यप्रदेश कांग्रेस के एक बड़बोले नेता सज्जन सिंह वर्मा दो कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी को खुश करने के लिए कह गए कि भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी और लोग प्रधानमंत्री निवास में घुसकर उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं, राहुल गांधी ने अपने गोवा कार्यक्रम में यह कहकर सनसनी फैला दी कि मोदी और शाह से तो हम निपट लेगे, लेकिन उसके बाद वे वहीं से वियतनाम रवाना हो गए, जबकि देश में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे में जनता यह पूछे बिना कैसे रह सकती है कि राहुल गांधी वियतनाम क्या करने गए हैं और किससे मिलने गए हैं? जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई कि प्रतिष्ठान को राहुल गांधी वियतनाम क्यों गए हैं। वहीं, दूसरी तरफ विजयादशमी के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से सतर्क रहने का आह्वान किया कि देश को बांटने वालों को सबक सिखाने का समान आ गया है। वहीं, 21 अक्टूबर को सौरव दास और रांका की जमानत अर्जियों पर हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि आप कौन हैं और आपके आंदोलन का मकसद क्या है? आप देश में अशांति क्यों फैलाना चाहते हैं? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपकी उम्र 27 और 31 वर्ष है, तो आप अपने आपको जेन-जी कैसे मानते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में रिजमी चेंज केवल चुनाव से संभव है, अराजकता से नहीं।

बच्चों को सड़क पर चलने के नियम सिखाते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर चलने के नियम भी सिखाने होंगे। क्या साझा करना है, क्या नहीं, किस लिंक पर क्लिक नहीं करना है और किस अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है, यह सब पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह केवल सरकार या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। सरकार को नियम बनाने होंगे, कंपनियों को उनका पालन करना होगा और परिवार को जागरूक होना होगा। यदि कंपनियां वर्ष 2024 के निर्देशों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनके अधिकारियों पर आपराधिक मामले भी चलाए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह दृष्टिकोण दूरदर्शी है। यह कहता है कि 21वीं सदी में इंटरनेट कोई विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है। इसे बच्चों से छीनना उन्हें भविष्य से काटने जैसा है। हमें ऐसा इंटरनेट बनाना होगा, जो स्वतंत्र भी हो और सुरक्षित भी, जहां बच्चा खुलकर सीख सके, सवाल पूछ सके और अपनी प्रतिभा दिखा सके, लेकिन जहां कोई शिकारी उसकी मासूमियत का फायदा न उठा सके। आजादी और सुरक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि हम बच्चों को केवल सुरक्षा के नाम पर पिंजरे में बंद करेंगे, तो वे उड़ना भूल जाएंगे और यदि केवल आजादी देकर खुला छोड़ देंगे, तो वे भटक जाएंगे। इसलिए जरूरत है संतुलित दृष्टिकोण की, जहां आजादी भी मिले और सुरक्षा भी। यही वह रास्ता है, जो भारती को डिजिटल दुनिया में एक आदर्श बना सकता है, जहां तकनीक डर नहीं, बल्कि ताकत बने।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)